शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
संख्या–681/नौ–7–2021–81ज/2019

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1)निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(2)समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(3)समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
(4)समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक : 21 जून, 2021

विषयः नगर निकायों में सम्मिलित किये गये राजस्व ग्रामों में विकास कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयगत आप अवगत हैं कि नगरीय निकायों की समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती शहरीकरण की प्रवृत्ति एवं उनमें हो रहे अनियोजित विकास को नियोजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 में कई नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) की सीमा का विस्तार किया गया, जिसके फलस्वरूप कई राजस्व ग्राम नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये गये। उक्त विस्तारित क्षेत्रों में साफ–सफाई व्यवस्था, सड़क, पथ प्रकाश व्यवस्था, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, कार्यालय भवन, शहरी गरीबों के लिये आवास जैसे मूल भूत सुविधायें जन सामान्य को उपलब्ध कराना नगरीय निकाय का अनिवार्य कर्तव्य है। इस हेतु नगरीय निकाय द्वारा 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि एवं अपने आर्थिक स्रोतों का नियमानुसार उपयोग किया जाता है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नगरीय निकाय के विस्तारित क्षेत्रों में उपर्युक्तानुसार मूल–भूत सुविधायें जन सामान्य को उपलब्ध कराने विषयगत विकास कार्य शीर्ष प्राथमिकता एवं समयबद्ध रूप में कराने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पात्र लाभार्थियों का भी सर्वे कराते हुये आवश्यकतानुसार डी0पी0आर0 राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डा0 इंद्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।
26.6.21

so.nagarvikas@gmail.com 2021